



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274752
CG-DL-E-24072026-274752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3843]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3843]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4013(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6164 तारीख 31/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH48 के कि.मी. 9.6 से कि.मी. 12.59 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03/02/2026 को “थे टाइम्स ओफ इंडिया [इंग्लिश]”, 03/02/2026 को “दिनमलर” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH48 के कि.मी. 9.6 से कि.मी.12.59 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: कांचीपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: श्रीपेरुम्बुदुर					
गांव का नाम: सेंगाडू					
1	192/2बी1	निजी	एग्रीकल्चर	0.007	शांतिलाल जैन एंस्/ओ सम्पथराज जैन 192/2B1B
2	203/5	निजी	डीआर्वाइ	0.002	एम्/एस्. जॉन्सन लिफ्ट्स पीवीटी एल्टीडी 203/5B
3	203/6	निजी	डीआर्वाइ	0.0048	एम्/एस्. जॉन्सन लिफ्ट्स पीवीटी एल्टीडी 203/6B
4	204/2	निजी	डीआर्वाइ	0.0135	एम्/एस्. जॉन्सन लिफ्ट्स पीवीटी एल्टीडी 204/2B
5	204/4	निजी	डीआर्वाइ	0.02	एम्/एस्. जॉन्सन लिफ्ट्स पीवीटी एल्टीडी 204/4B
6	204/6ए	निजी	डीआर्वाइ	0.04	एम्/एस्. झोंसों लिफ्ट्स पीवीटी एल्टीडी 204/6A2

7	205/1	निजी	डीआरवाइ	0.0343	गजलक्ष्मी डबल्यू/ओ सेल्वाराज-1, धीरज पंचतचरम एँस्/ओ सेल्वाराज-2 & श्रीशा माधवी डी/ओ सेल्वाराज-3 205/1B
8	205/2ए	निजी	डीआरवाइ	0.0055	एँम्/एँस्. सेंगाडू विलेज पंचायत 205/2A2
9	205/2बी	निजी	डीआरवाइ	0.0015	राजशेखर एँस्/ओ मनी 205/2B2
Total				0.1286	

[फा. सं. 11038/1/2019/PIU.KANCHEE/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4013(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **6164 Dated:31/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 9.6 to Km. 12.59 in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 03/02/2026, “Dinamalar” dated 03/02/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH48 in the stretch of land from Km. 9.6 to Km. 12.59 in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: KANCHEEPURAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sriperumbudur					
Village: Sengadu					
1	192/2B1	Private	Agriculture	0.007	Shanthilal Jain S/o Sampathraj Jain 192/2B1B
2	203/5	Private	DRY	0.002	M/s. Johnson Lifts Pvt Ltd 203/5B
3	203/6	Private	DRY	0.0048	M/s. Johnson Lifts Pvt Ltd 203/6B
4	204/2	Private	DRY	0.0135	M/s. Johnson Lifts Pvt Ltd 204/2B
5	204/4	Private	DRY	0.02	M/s. Johnson Lifts Pvt Ltd 204/4B
6	204/6A	Private	DRY	0.04	M/s. Johnson Lifts Pvt Ltd 204/6A2
7	205/1	Private	DRY	0.0343	Gajalakshmi W/o Selvaraj-1, Dheeraj Panchatcharam S/o Selvaraj-2 & Shrisha Madhavi D/o Selvaraj-3 205/1B
8	205/2A	Private	DRY	0.0055	M/s. Sengadu Village Panchayat 205/2A2
9	205/2B	Private	DRY	0.0015	Rajasekar S/o Mani 205/2B2
Total				0.1286	

[F. No. 11038/1/2019/PIU.KANCHEE/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director